<u>न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर।</u>

एस0टी0सं0–53 / 2022 कं0नं0–180 / 2022

सरकार–बनाम–आमिर आदि

सी.एन.आर.नं0–यूपीएएन010011212022

<u>28.03.2023</u>

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। समस्त अभियुक्तगण जरिये वीडियो कान्फ्रेन्सिग उपस्थित। पत्रावली सुनवाई प्रार्थनापत्र 14ब हेतु नियत है। परन्तु प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करने हेतु विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली कुछ देर पश्चात पुनः पेश हो।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6316

पत्रावली पुनः पेश हुई पुकार करायी गयी। प्रार्थनापत्र 14ब पर बल देने हेतु विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं। पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हो।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6316

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई। बार–बार पुकार करायी गयी। समय 4.30 बजे तक अभियुक्तगण की ओर से कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में पस्थित नहीं हुए। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मुकदमा प्रार्थनापत्र 14ब के सुनवाई हेतु विगत कई तिथियों से नियत है। प्रार्थनापत्र 14ब अभियुक्त यश जायसवाल की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमें में सह अभियुक्त नीलेश वर्मा को विवेचक द्वारा संकलित मुकदमें से संबंधित सी.सी.टी.वी. फुटेज की पेनड्राइव न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी जबकि अभियुक्त यश जायसवाल को उक्त पेनड्राइव की प्रति प्राप्त नहीं की गयी है। इस प्रकार अभी तक धारा–207 दं0प्र0सं0 का अनुपालन पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त यश जायसवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दाखिल करते हुए न्यायालय से याचना की गयी उक्त पेनड्राइव की प्रति उसे भी प्रदान करने का आदेश पारित किया जाय।

प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मुकदमें में 03 अभियुक्तगण का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जा रहा है–यश जायसवाल, नीलेश वर्मा एवं आमिर कुरैशी । प्रस्तुत मुकदमें को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक–11.04.2022 को सत्र सुपुर्द करने का आदेश पारित किया गया था। विचारण न्यायालय में अभियुक्त नीलेश वर्मा की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–207 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक–01.04.2022 को

निरस्त किया गया था और उक्त आदेश के विरूद्ध अभियुक्त नीलेश वर्मा द्वारा फौजदारी निगरानी दाखिल की गयी थी। दिनांक–10.10.2022 को इस न्यायालय द्वारा उक्त निगरानी को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांकित 01.04.2022 को अपास्त किये जाने का आदेश पारित किया गया और विचारण न्यायालय को निर्देशित किया गया कि अभियुक्त नीलेश वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–207 दं0प्र0सं0 का निस्तारण पुनः निर्णय के आलोक में नये सिरे से विधि अनुसार करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश के पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक–15.02.2023 को उक्त आदेश का अनुपालन किया गया तथा अभियुक्त नीलेश वर्मा को पेनड्राइव नियमानुसार प्राप्त कराते हुए धारा–207 दं0प्र0सं0 का अनुपालन किया गया। दिनांक–15.02.2023 को ही अभियुक्त यश जायसवाल की ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उसके अधिवक्ता को आरोप पर बहस करना है और इस कारण एक तिथि की याचना की गयी। पत्रावली आरोप के स्तर पर लम्बित थी। न्यायहित में अभियुक्त के स्थगन प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए एक अवसर दिया गया। अगली ही तिथि दिनांक–17.02.2023 को अभियुक्त यश जायसवाल की ओर से प्रार्थनापत्र 14ब इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि इस मुकदमें के सह अभियुक्त नीलेश वर्मा को पेनड्राइव की प्रति प्राप्त हो चुकी है, परन्तु अभी पेनड्राइव की प्रति अभियुक्त यश जायसवाल को प्राप्त नहीं हुई है और इस कारण उसके संबंध में अभी धारा–207 दं0प्र0सं0 का अनुपालन नहीं हुआ है, और उसे भी पेनड्राइव की प्रति प्राप्त कराया जाय। उपरोक्त प्रार्थनापत्र 14ब अभियुक्त यश जायसवाल की ओर से दिनांक–17.02.2023 को प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय में कई तिथियां बीत गयी, परन्तु यश जायसवाल की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रार्थनापत्र 14ब पर बल देने हेतु कभी उपस्थित नहीं हुए। उपरोक्त के संबंध में न्यायालय द्वारा कई बार उन्हें अंतिम अवसर भी दिया गया है तथा अपने आदेश–पत्र में इस बात की अंकना भी किया गया है कि प्रार्थनापत्र 14ब की सुनवाई हेतु विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। न्यायालय द्वारा लगातार पारित किये जा रहे आदेशों के पश्चात भी विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में प्रार्थनापत्र 14ब पर बल देने हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। आज भी समय 4.30 बजे तक प्रार्थनापत्र 14ब पर बल देने हेतु विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। यहॉ पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस मुकदमें में तीनों अभियुक्तगण यश जायसवाल, नीलेश वर्मा एवं आमिर कुरैशी की ओर से कोई भी अधिवक्ता प्रार्थनापत्र 14ब के लम्बित रहने के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

पत्रावली के परिशीलन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि यह पत्रावली आरोप के स्तर पर लम्बित है और अभियुक्तगण पत्रावली को लम्बित रखना चाहते हैं, जिससे कि उनके विरूद्ध आरोप विरचित न हो सके। यदि अभियुक्त यश जायसवाल के संबंध में धारा–207 दं0प्र0सं0 का अनुपालन नहीं किया गया था तो वह प्रार्थनापत्र

अभियुक्त नीलेश वर्मा के साथ में प्रस्तुत कर सकता था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। जब अभियुक्त नीलेश वर्मा के संबंध में निगरानी स्वीकार की गयी, उसके पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दिया गया, और पत्रावली पुनः आरोप हेतु नियत की गयी, तत्पश्चात अभियुक्त यश जायसवाल की ओर से प्रार्थनापत्र 14ब प्रस्तुत किया गया। इस स्तर पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभी इस मुकदमें के तीसरे अभियुक्त आमिर कुरैशी की ओर से कोई भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त यश जायसवाल के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने व उस पर आदेश होने के उपरान्त अभियुक्त आमिर कुरैशी की ओर से मात्र पत्रावली को लम्बित रखने के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे कि आरोप के विरचित होने में जितना विलम्ब कारित हो सके उतना कारित हो।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण का यह कृत्य न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत मुदकमें में दिनांक–14.11.2021 को अभियुक्तगण को नामित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–302,201 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दर्ज की गयी थी। सन् 2021 से सन् 2023 तक अभियुक्तगण द्वारा इस पत्रावली को लम्बित रखने का हर सम्भव प्रयास किया गया है, जिससे कि मुकदमें की अग्रिम कार्यवाही सम्भव न हो सके। प्रार्थनापत्र 14ब के लम्बित रहने के अंतराल में तीनों अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में किसी भी तिथि पर उपस्थित न होना, और प्रार्थनापत्र 14ब पर बल न देना उनकी मंशा स्पष्ट करता है। प्रस्तुत प्रकरण में तीनों ही अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं। प्रायः यह भी देखा गया है कि जब अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में होते हैं और उनकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय से लम्बित होती है तो ऐसी अवस्था में अभियुक्तगण द्वारा पत्रावली को लम्बित रखने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है, जिससे कि वह माननीय उच्च न्यायालय में यह जाहिर करें कि विचारण न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और वह जमानत प्राप्त करने के हकदार हैं। प्रस्तुत मुकदमें में अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र 14ब के संबंध में बिना गुण–दोष पर विचार किये हुए, प्रार्थनापत्र पर बल न दिये जाने के कारण प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 14ब निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 14ब बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप हेतु दिनांक–04.04.2023 को पेश हो। समस्त अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में आरोप हेतु तलब हों।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6316